सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 अगस्त, 2017

षोडश विधान सभा

सप्तम् सत्र

21 अगस्त, 2017 ई0
सोमवार, तिथि -----------------
30 श्रावण, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रारम्भिक सम्बोधन

माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ । वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल 05 (पांच) बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के अलावा राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का यह सदन सर्वोपरि होता है एवं सरकार इसके प्रति उत्तरदायी होती है । इस सदन में प्रतिनिधिगण आपसी विमर्श के माध्यम से जनता की समस्याओं पर विचारण एवं इसका निराकरण करते हैं । इस तरह यह सदन विमर्श का सदन है । अगर इस सदन में सार्थक विमर्श नहीं हो तो इस सदन का महत्व ही कमतर हो जाता है । आप सभी इस बात से अवगत हैं और अनेक पूर्वोदाहरण हैं जब सामाजिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर इस सदन ने उल्लेखनीय एकजुटता दिखायी है, जिससे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाया है । इस परिप्रेक्ष्य में यह लाजिमी है कि हम सभी जनता से जुड़े मुद्दों पर अर्थपूर्ण विमर्श कर उनके निराकरण का प्रयास करें ।

अभी पिछले दिन सदन में भी आप सबों ने जिस आत्मसंयम और अनुशासित ढंग से सदन के संचालन में सहयोग किया है, इसकी सर्वत्र सराहना हुई है ।

माननीय सदस्यगण, आज बिहार के लगभग 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं । एक करोड़ से उपर की आबादी इससे प्रभावित है । यह हम सबों के लिए चिन्ता का विषय है एवं इस संकट की घड़ी में हम उन तमाम आपदा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं । यह हम सब का दायित्व भी है कि हम अपनी पूरी क्षमता से बाढ़ पीड़ितों की मदद करें ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सफल संचालन में आपका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

टर्न-1/अंजनी/दि0 21.08.17

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :-

1.	श्री हरिनारायण सिंह	-	स0वि0स0
2.	श्री मोहम्मद इलियास हुसैन	-	स0वि0स0
3.	श्री तार किशोर प्रसाद	-	स0वि0स0
4.	डॉ0 अशोक कुमार	-	स0वि0स0
5.	डॉ0 रंजु गीता	-	स0वि0स0

समितियों का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं षोडश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :-

1.	अध्यक्ष,	- बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री नीतीश कुमार,	- मुख्यमंत्री	सदस्य
3.	श्री सुशील कुमार मोदी,	- उप मुख्यमंत्री	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार,	- मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,	- मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
6.	श्री प्रेम कुमार,	- मंत्री, कृषि	सदस्य
7.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,	- नेता, विरोधी दल	सदस्य
8.	श्री सदानन्द सिंह,	- स0वि0स0	सदस्य

विशेष आमंत्रत सदस्य

1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी	- स0वि0स0
2.	श्री महबूब आलम	- स0वि0स0
3.	श्री सुधांशु शेखर	- स0वि0स0
4.	श्री राजू तिवारी	- स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

औपचारिक कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत एवं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित "आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

(संशोधन) विधेयक, 2016" पर महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

संदेश

"I have carefully perused and considered the "Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill,2016".

The Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 has been established for excellence in conventional as well as professional education. The Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 has been proposed to take advantage of experienced persons in the field of education and to further strengthen and streamline administration of the University. The correlation between aims and objectives of Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 and the proposed Aryabhatta Knowledge Uniersity (Amendment) Bill, 2016 needs to be clarified.

The Proposed amendment requires reconsideration so as to clearly establish reasonableness of the Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 to cure and defect, mischief of shortcoming that the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 may suffer from.

Therefore, the proposed Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Bill, 2016 be returned with a request that both houses of the Legislature re-consider the aforesaid Bill as suggested above."

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

आप बाद में पढ़ दीजियेगा । सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, षोडश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 12 (बारह) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूँ जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत अनुमति प्रदान की गयी है :-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग विधेयक, 2017	09.03.2017
2.	बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017	31.03.2017
3.	बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017	12.04.2017
4.	बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	12.04.2017

5.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017.	12.04.2017
6.	पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	12.04.2017
7.	बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017	12.04.2017
8.	बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण(वित्तीय स्थापनाओं में)(संशोधन) विधेयक,2017	12.04.2017
9.	बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017	03.05.2017
10.	बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017	03.05.2017
11.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	15.05.2017
12.	पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	15.05.2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड (2)(क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न-2/अशोक/21.08.2017

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

स्वर्गीय सुनीला देवी

बिहार विधान सभा की पूर्व सदस्य श्रीमती सुनीला देवी का असामयिक निधन दिनांक 06 जुलाई, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 51 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सुनीला देवी शेखपुरा जिला के शेखपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं

थी। वह एक मिलनसार एवं मृदुभाषी महिला थीं । अपने क्षेत्र के विकास के लिये वे सदैव तत्पर रहती थीं । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय अदनान खां

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अदनान खां का निधन दिनांक 23 जुलाई, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी।

स्वर्गीय खां गोपालगंज जिला के बरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रखर समाज सेवी के साथ-साथ मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। पेशे से होमियोपैथ डॉक्टर थे और इस नाते वे अन्तिम समय तक गरीबों की सेवा करते रहे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राजकिशोर सिन्हा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजकिशोर सिन्हा का असामयिक निधन दिनांक 17 अगस्त, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिन्हा वैशाली जिला के वैशाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्त्ता और सजग राजनेता थे । वे अंतिम समय तक जनता की सेवा पूरी निष्ठा एवं लगन से करते रहे । उनका स्वभाव सरल, मिनलसार एवं मृदुभाषी था । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय बद्री नारायण लाल

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री बद्री नारायण लाल का निधन दिनांक 21 मई, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी।

स्वर्गीय लाल 22 जुलाई, 1992 से 21 जुलाई, 2005 तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे थे । वे योग्य एवं कर्मठ शिक्षक तथा साम्यवादी विचार धारा के व्यक्ति थे । उन्होंने कई मजदूर संगठनों का नेतृत्व किया था । वे सदैव गरीबों, शोषितों एवं पीड़ितों की सहायता के लिये तत्पर रहा करते थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय पी.के. सिन्हा

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री पी.के. सिन्हा का निधन दिनांक 29 जून, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिन्हा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 07 मई, 2000 से 6 मई, 2006 तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे थे । पहले वे सरकारी सेवा में थे तथा पत्रकारिता में भी उनकी रूचि थी । उन्होंने समाजवादी विचार धारा के साथ जुड़कर समाज के गरीब, शोषित एवं पीड़ितों की सेवा की थी । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।